

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा सैक्टर 17, प्लॉट नं० 2 पंचकुला।
2. उपायुक्त, फरीदाबाद।
3. उप मण्डल अधिकारी, फरीदाबाद और बल्लबगढ़।
4. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद।
5. प्रधानाचार्य, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी।
6. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, भिवानी।
7. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद।
8. कानूनी अधिकारी, (पंचायत) जिला फरीदाबाद।

क्रमांक ई०सी०ए०-5-2015/ 24312-20

दिनांक: 15-4-15

विषय:- ग्राम पंचायतों के गठन सम्बन्धी अधिसूचना भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 63/ह०अ० 11/1994/धा० 8 व 7/2015 दिनांक 08.04.2015 की प्रति नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- अधिसूचना।

Anad Kumar
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Anad

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
अधिसूचना

दिनांक 8 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 63/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत फरीदपुर, खण्ड फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद के सभा क्षेत्र से गांव सदपुरा के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित सदपुरा के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
फरीदाबाद	फरीदाबाद	सदपुरा (हदबस्त संख्या 100)	सदपुरा

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 8th April, 2015

No. S.O. 63 /H A11/1994/S 8 & 7/2015.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Sadpura from the sabha area of Gram Panchayat Faridpur, block Faridabad Nagar, district Faridabad and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Sadpura as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

Schedule			
Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Faridabad	Faridabad	Sadpura (Hadbast Number 100)	Sadpura

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.